कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–1675/10my

दिनांक–12/11/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी, टिहरी गढवला।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–भेंटी–जमोलना–पोखार मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.896 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/ROAD/36121/2018)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 847 / 12–1 नई टिहरी, दिनांक–19.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है–

बिन्दु संख्या–1 वनभूमि की विधिक स्थति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को निर्माण पूर्व ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या–3
(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.792 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 26,27,338.00 (छब्बीस लाख सताईस हजार तीन सौ अड़तीस रूपये मात्र) जमा करा दिये हैं (चालान की छाया प्रति संलग्न)।
(ख) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा, एवं सम्बन्धित वनक्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र, अमल दरामद मय नक्शा, खसरे के साथ संलग्न है।
(ग) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा, इस आशय का वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या–4
(क) एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 25,59,672.00 (पच्चीस लाख उनसठ हजार छः सौ बहत्तर रूपय मात्र) जमा करा दिये गये हैं (चालान की छाया प्रति संलग्न)।
(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढोतरी होती है तो वढी हुई दरे के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

o/c—

बिन्दु संख्या–5 प्रत्यावर्तित वनभूमि में वृक्षों की कटाई न्यूनतम की जायेगी तथा पेड़ो की कटाई वनविभाग के पर्यवेक्षण में की जायेगी, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या–6 एन0पी0वी0 एव अन्य वाछित धनराशि का ऑन लाईन चालानसत्यापन के पश्चात ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किया गया है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या–7 प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या–8 एफ0आर0ए0 2006 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेग, जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्रमाणित कर संलग्न है।

बिन्दु संख्या–9 संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियम साईनेज लगाये जायेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–10 प्रयोक्त ऐजेन्सी द्वारा पर्यावारण (संरक्षण) 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दी जायेगी।

बिन्दु संख्या–11 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं वदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–12 वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–13 मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–14 प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियेजना लागत पर भूमि पर सीमांकन प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–15 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–16 प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–17 प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–18 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–19 यदि उक्त शर्तों का हमारे द्वारा उल्लंधन किया जायेगा तो वह वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017, दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही मान्य होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–20 पर्यावारण, वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर जो शर्तें निर्धारित की जायेगी, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जयेगा।

बिन्दु संख्या–20 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तगन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर जो शर्तें निर्धारित की जायेगी, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जयेगा।

बिन्दु संख्या–21 परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निरतारण, मलवा निरतारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलवा अन्यत्र मलवा नहं फेंका जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–22 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रकार प्रस्ताव लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेनी सुनिश्चित की जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या–23 **अनुपालन आख्या तैयार कर ई0–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/)** के पर अपलोड क़र दिया गया है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

(इं0 डी0 सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

O/C

पत्रांक 1675/10 my तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–
01. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
02. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
03. अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
04. सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली, मु0–घुमेटीधार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/11/21
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

O/C